



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.10.2026

प्रेस नोट

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.10.2026

थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा हाईवे किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए, कुल 04 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

जनपद आजमगढ़ के थाना गम्भीरपुर, निजामाबाद, मुबारकपुर एवं कप्तानगंज की कुल 04 घटनाओं का किया गया सफल अनावरण

पिकअप वाहन, कूटरचित नम्बर प्लेट, डीजल चोरी के उपकरण, 50 लीटर डीजल, 14 खाली जरीकेन एवं 9500 रुपये नगद बरामद; आजमगढ़ सहित अन्य जनपदों में चोरी की कई घटनाओं का खुलासा

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक **02.10.2026** को समय करीब 03:30 से 04:00 बजे के मध्य ग्राम थनौली के पास प्रधान बिल्डिंग मैटेरियल के सामने खड़े वादी अरविन्द यादव पुत्र हुबराज यादव निवासी ग्राम अटारपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के **ट्रक से अज्ञात चोरों द्वारा डीजल चोरी कर** लिया गया था। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर **मु0अ0सं0-238/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया था।

प्रकरण के अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़** के निर्देशन में थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा लगातार सुरागरसी एवं चेकिंग की जा रही थी। विवेचना एवं फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तों **1. शैलेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 सुभाष राजभर, 2. अक्षय कुमार पुत्र स्व0 लाल बिहारी, 3. चन्द्रिका पुत्र रामनाथ यादव एवं 4. संजय कुमार पुत्र रामप्रसाद** के नाम प्रकाश में आये तथा मुकदमा उपरोक्त में **धारा 317(2), 317(4), 338, 340(2), 3(5) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर श्री ईश्वर लाल गुज्जर के कुशल निर्देशन दिनांक 05.10.2026 को उ०नि० अभिषेक सिंह, उ०नि० अश्वनी मिश्रा, उ०नि० योगेश कुमार सरोज मय पुलिस बल द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रोहुआ तिराहे पर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाला गिरोह पिकअप वाहन में जरीकेन एवं डीजल चोरी करने के उपकरण लेकर ग्राम बरवां मोड़ हाईवे के पास मौजूद है तथा रात्रि के समय हाईवे किनारे खड़े वाहनों की टंकी से डीजल चोरी कर उसे बेचने का कार्य करता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल बरवां मोड़ के पास पहुंचकर घेराबंदी की गयी। मौके पर हाईवे किनारे खड़ी पिकअप को चारों तरफ से घेरकर उसमें बैठे चार व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों की पहचान **1. शैलेन्द्र राजभर पुत्र स्व० सुभाष राजभर निवासी बाऊडीह, थाना मधुवन, जनपद मऊ, 2. अक्षय कुमार पुत्र स्व० लाल बिहारी निवासी बहोरनपुर, थाना मधुवन, जनपद मऊ, 3. चन्द्रिका पुत्र रामनाथ यादव निवासी रसूलपुर आश्रम, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ एवं 4. संजय कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी गोपालपुर, थाना गोला, जनपद गोरखपुर** के रूप में हुई।

पिकअप वाहन की जांच करने पर उस पर कूटरचित नम्बर प्लेट UP54AT7843 लगी हुई मिली। ई-चालान ऐप पर उक्त नम्बर की जांच करने पर वह एक ई-रिक्शा के नाम पंजीकृत पाया गया। वाहन के चेसिस नम्बर MA1ZN2TNKN1H78916 के आधार पर जांच करने पर पिकअप का वास्तविक नम्बर UP54AT7343 पाया गया, जो अभियुक्त अक्षय कुमार के नाम पंजीकृत है।

पिकअप की तलाशी से **01 अदद प्लास्टिक की पाइप, 01 अदद हथौड़ी, 01 अदद छेनी, 01 जरीकेन में करीब 50 लीटर डीजल एवं 14 अदद खाली जरीकेन** बरामद हुए। अभियुक्तों की जामा तलाशी से **9500 रुपये नगद** बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक **02.10.2026** की रात्रि में ग्राम थनौली के पास हाईवे किनारे खड़े ट्रक से करीब **150 लीटर डीजल चोरी किया** गया था, जिसमें से लगभग 50 लीटर डीजल वर्तमान में बरामद हुआ। अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक **29.09.2026** की रात्रि में निजामाबाद क्षेत्र के नेवादा गांव के पास खड़े ट्रक से रिंच एवं करीब 20 लीटर डीजल चोरी कर उसे बेचने से प्राप्त 2000 रुपये, दिनांक **02.08.2026** को मुबारकपुर क्षेत्र के लोहरा सिक्स लेन के पास खड़े ट्रेलर से करीब 250 लीटर डीजल चोरी कर बेचने से प्राप्त रकम में से बचे 3500 रुपये तथा उसी दिन कप्तानगंज क्षेत्र के तेरही गांव के पास हाईवे किनारे से करीब 360 लीटर डीजल चोरी कर बेचने से प्राप्त रकम में से बचे 4000 रुपये बरामद 9500 रुपये में शामिल हैं।

अभियुक्तों का उक्त कृत्य धारा 303(2), 317(2), 317(4), 338, 340(2), 3(5) बीएनएस के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाये जाने पर उन्हें समय करीब 02:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शैलेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 सुभाष राजभर निवासी बाऊडीह, थाना मधुवन, जनपद मऊ।
2. अक्षय कुमार पुत्र स्व0 लाल बिहारी निवासी बहोरनपुर, थाना मधुवन, जनपद मऊ।
3. चन्द्रिका पुत्र रामनाथ यादव निवासी रसूलपुर आश्रम, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ।
4. संजय कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी गोपालपुर, थाना गोला, जनपद गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-238/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 338, 340(2), 3(5) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

अभियुक्त संजय कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी गोपालपुर, थाना गोला, जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0-238/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 338, 340(2), 3(5) बीएनएस, गम्भीरपुर, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-298/2026 धारा 305बी बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-359/2026 धारा 303(3) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-253/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0-13/2025 धारा 303(2), 317(2), 340(2) बीएनएस, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।
6. मु0अ0सं0-129/2024 धारा 420/406/506 भादवि, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर।
7. मु0अ0सं0-13/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना घोसी, जनपद मऊ।

अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र स्व0 लाल बिहारी निवासी बहोरनपुर, थाना मधुवन, जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 238/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/338/340(2)/3(5) बी0एन0एस0 गम्भीरपुर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 298/2026 धारा 305बी बी0एन0एस0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 359/2026 धारा 303(3) बी0एन0एस0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 253/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 276/2018 धारा 307/120बी भा0द0वि0 थाना मधुवन जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 277/2018 धारा 411, 413, 414 भा0द0वि0 थाना मधुवन जनपद मऊ।
7. मु0अ0सं0 278/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मधुवन जनपद मऊ।
8. मु0अ0सं0 74/2019 धारा 357/480/411 भा0द0वि0 थाना भीमपुरा जनपद बलिया।
9. मु0अ0सं0 92/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भीमपुरा जनपद बलिया।
10. मु0अ0सं0 213/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना मरदह गाजीपुर।
11. मु0अ0सं0 744/2023 धारा 279/337/338/427 भा0द0वि0 थाना गोंडा गोरखपुर।
12. मु0अ0सं0 179/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
13. मु0अ0सं0 428/2019 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मधुवन जनपद मऊ।
14. मु0अ0सं0 255/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मधुवन जनपद मऊ।

अभियुक्त शैलेन्द्र राजभर पुत्र स्व० सुभाष राजभर निवासी बाऊडीह, थाना मधुवन, जनपद मऊ

1. मु०अ०सं०-238/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 338, 340(2), 3(5) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं०-298/2026 धारा 305बी बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं०-359/2026 धारा 303(3) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं०-253/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
5. मु०अ०सं०-74/2019 धारा 357/480/411 भादवि, थाना भीमपुरा, जनपद बलिया।

अभियुक्त चन्द्रिका पुत्र रामनाथ यादव निवासी रसूलपुर आश्रम, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ

1. मु०अ०सं०-238/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 338, 340(2), 3(5) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं०-298/2026 धारा 305बी बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं०-359/2026 धारा 303(3) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं०-253/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. 01 अदद पिकअप वाहन मय कूटरचित नम्बर प्लेट।
02. 01 अदद प्लास्टिक की पाइप।
03. 01 अदद हथौड़ी।
04. 01 अदद छेनी।
05. 01 जरीकेन में करीब 50 लीटर डीजल।
06. 14 अदद खाली जरीकेन।
07. 9500 रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अभिषेक सिंह, चौकी प्रभारी गम्भीरपुर, आजमगढ़।
2. उ०नि० अश्वनी मिश्रा, चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार, आजमगढ़।
3. उ०नि० योगेश कुमार सरोज, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
4. का० शोएब, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
5. का० शिवराम सरोज, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
6. का० अजीत पटेल, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
7. का० मिथिलेश यादव, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।